छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2017

क्रमांक एफ 1–02/2016/एक/6:: सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 11 जुलाई, 2017 द्वारा वर्ष, 2017 के लिए स्थानांतरण नीति जारी कर स्थानांतरण पर प्रतिबंध को शिथिल किया गया है। यद्यपि स्थानांतरण आदेश जारी करने की प्रक्रिया सावधानी पूर्वक की जाती है, किन्तु कतिपय ऐसे प्रकरणों में जिनमें कर्मचारियों को यह प्रतीत होता है कि स्थानांतरण नीति का उल्लंघन हुआ है, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाती है।

2/ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन (एस) क्रमांक 2859/2012 श्री अमित सिंह परिहार विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2012 में व्यक्त की गई वांछा पर विचारोपरान्त विगत वर्षों की भांति ऐसे स्थानांतरण प्रकरणों की सुनवाई एवं परीक्षण हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नानुसार वरिष्ठ सचिवों की समिति का गठन करता है :–

(1)	**श्री सुनील कुमार कुजूर,** अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग एवं उच्च शिक्षा विभाग	**अध्यक्ष**
(2)	**श्री आर.पी. मण्डल** प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग	**सदस्य**
(3)	**भारसाधक सचिव (कक्ष–6)** छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग	**संयोजक**

3/ यह समिति राज्य स्तरीय स्थानांतरण से संबंधित उन प्रकरणों पर विचार करेगी, जिन पर अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्थानांतरण नीति के उल्लंघन के संबंध में स्पष्ट आधारों के साथ स्थानांतरण आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर आवेदन दिया जाता है । समिति द्वारा ऐसे प्रकरणों का परीक्षण करने के पश्चात् अपनी अनुशंसा संबंधित विभाग को प्रेषित करेगी। यह संबंधित विभाग का दायित्व होगा कि प्रकरण पर समन्वय में अनुमोदन की विधिवत् कार्यवाही उपरान्त समुचित आदेश पारित करे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डी.डी. सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

BHUARYA-1

पृ. क्रमांक एफ 1–02/2017/एक/6 नया रायपुर दिनांक 17 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर ।
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर।
4. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
5. समस्त माननीय मंत्रीगण/संसदीय सचिव के विशेष सहायक/निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर।
6. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
8. महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
9. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
10. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, रायपुर।
11. संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर।
12. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., मंत्रालय, नया रायपुर की ओर इस विभाग की वेबसाईटः www.cg.nic.in/gadonline पर अपलोड करने हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

BHUARYA-1